संख्या/348 / ।।–2010–03(09)/2009

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांक : नवम्बर 08, 2010

विषय :– केन्द्र पुरोनिधानित योजना 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' के अन्तर्गत योजनाओं हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या 10–19/2009–MI/500, दिनांक 15.09.2010 एवं मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या 334 दिनांक 24.05.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत मद में वित्तीय वर्ष 2010–11–12 हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 464 कलस्टर योजनाओं हेतु ₹ 8908.08 लाख (₹ नवासी करोड़ आठ लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर प्रादिष्ठ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	धनराशि
1	20	4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90%के0पो0) 0104–त्वरित सिंचाई लाभ योजना 24–वृहद निर्माण	6788.08
2	30	4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90%के0पो0) 0101–त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एस.सी.एस.पी.) 24–वृहद निर्माण	1370.00
3	31	4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना 01–ट्राईबल विकासखण्डों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिंकलरों का निर्माण 0101–त्वरित सिंचाई लाभ योजना (टी.एस.पी.) 24–वृहद निर्माण	750.00
		योग	8908.08

(₹ नवासी करोड़ आठ लाख आठ हजार मात्र)

उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 682/।।–2010–03(09)/2009, दिनांक 09.06.2010 में निहित शर्तों के अधीन अनुमोदित योजनाओं में किया जायेगा।

D:\Pandey\AIBP - Bharat Nirman\B.N.Y. 2010-11-12\G.O.doc

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 875/।।–2009–14 (05)/2005, दिनांक 01.06.2009 में निहित निर्देशानुसार केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
3. स्वीकृत धनराशि के व्यय करने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जायें।
4. उक्त धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेण्ट) नियमावली 2008 का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, शासन एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
6. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं पर धनराशि व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाय।
8. प्रत्येक योजना पर शिलापट्ट/साईन बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाय, जिस पर योजना का नाम, योजना की लागत, स्वीकृति का वर्ष, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि आदि का विवरण अंकित हो।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के उक्त तालिका के कालम–3 पर अंकित अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा।
10. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या 297(P)/XXVII(4)/2010 दिनांक नवम्बर 02, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या 1348/।।–2010–03(09)/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास।
4. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया,
अनु सचिव

D:\Pandey\ABP - Bharat Nirman\B.N.Y. 2010-11-12G.O..doc

8/11/06